न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा.आर.ए.एस

मु0माल स0 132/2012

1–कपिलदेव पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी 8 जैड तहसील श्रीगंगानगर–प्रार्थी

बनाम

1–बृजलाल पुत्र सावित्रीदेवी पुत्री मनोहरीदेवी जाति जाट निवासी ततारसर

2–हरभजन पुत्र सावित्रीदेवी पुत्री मनोहरीदेवी जाति जाट निवासी ततारसर

3–भागीरथ पुत्र सावित्रीदेवी पुत्री मनोहरीदेवी जाति जाट निवासी ततारसर

4–इन्द्रा पुत्री सावित्रीदेवी पुत्री मनोहरीदेवी जाति जाट निवासी ततारसर

5–साहबराम पुत्र मनोहरीदेवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी 3 ए ते0श्रीगंगानगर

6–जगदीश पुत्र मनोहरीदेवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी 3 ए ते0श्रीगंगानगर

7–शंकरलाल पुत्र मनोहरीदेवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी 3 ए ते0श्रीगंगानगर

8–नरेन्द्रकुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी 3 ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर

9–सिलोचना पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी 3 ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर

10–गंगादेवी पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी 8 जैड तहसील श्रीगंगानगर

11–राजस्थान सरकार जरिऐ उप तहसीलदार,श्रीगंगानगर

12–उप पंजीयक,श्रीगंगानगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः–1–श्री मोहनलाल माहर एडवोकेट– प्रार्थी

:–2–श्री मनोहरलाल सहारण एडवोकेट– अप्रार्थीगण

आदेश–: दिनांकः–14 जनवरी,2016

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि मूल वाद 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुऐ यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। कि चक 8जैड के खाता स0 46/44 के मुश्तर्का खाता में मु0न025 के कि0न01/1में 0.126 हैक्टयर एंव मु0न027 के कि0न01,4,7,10ता14,17ता24 कुल 3.679 हैक्टयर आराजी खातेदारी दर्ज हैं जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1ता4 के नाम से 0.368 हैक्टयर आराजी सह खातेदारी दर्ज हैं।वादी के परिवार के पास 34 की 14.03बीधा भूमि खातेदारी थी। मु0न027

— Cont (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

सिविल 132/12

चिपते होने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी स01मा4 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दिनांक 6–2–2012 के पंजीबद्व बैयनामा के आधार पर अपना 0.368 हैक्टयर को हस्तान्तरण कर दिया ओर बैयनामा के रोज से कब्जा सयुंक्त हिस्सा में मु0न034 के चिपते हुऐ मुरब्बा न027 के कि0न023–34 की प्रत्येक 14–14 बिस्वा पर काबिज काश्त है। भूमि मुश्तर्का खाता में सह–काश्तकारी के रुप में दर्ज है। प्रत्येक सह–हिस्सेदार का अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी संख्या 9 अपने हिस्सा की आराजी को गेर कृषि कार्य हेतु छोटे छोटे भूखण्डों के रुप में बेचान करना चाहता हैं तथा मौके पर सौदाबाजी कर रहा हे। अप्रार्थी संख्या 09 कृषि भूमि का बिना स्वरुप बदलाये गेर कृषि कार्य हेतु हस्तान्तरण कर रहा हैं जो विधि विरुद्व है। प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया मामला बनता हैं और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः उक्त विवादास्पद भूमि 3.379 हैक्टयर भूमि के किसी भी हिस्सा को विधिवत तौर से बंटवारा करवाये बिना किसी अन्य को रहन,बैय या मुन्तकिल नहीं करें तथा प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी चक 8 जैड के मु0न034 के चिपते मु0न027 के कि0न023 व 24 की प्रत्येक में 14–14 विस्वा आराजी प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी में किसी प्रकार से मदाखलत बेजा ना करें। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस दिनांक 7–5–12 को सुनते हुऐ विवादास्पद भूमि चक 8 जैड के मु0न034 के चिपते मु0न027 के कि0न023 व 24 की प्रत्येक में 14–14 विस्वा आराजी को किसी को रहन बेय न करनें तथा रिकार्ड एंव मौका यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुऐ प्रकरण दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीयान को जरिऐ रजि0 नोटिस तलब किया गया। मूल वाद में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।इसलिऐ इस प्रार्थनापत्र में भी अप्रार्थी स01ता3 के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी स0 4ता09 की तामीली अभी बाकी हैं।अप्रार्थी स010 की ओर से श्री मनोहरलाल सहारण एडवोकेट उपस्थित हैं ओर उन्होनें जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रतिवादी स01ता4 के पास उपरोक्त खाता में भूमि का कब्जा नहीं था ओर ना ही उनका 0.368 हक्टयर रकबा पर अधिकार था तथा नाही मु0न027 के कि0न023 म 14–14 विस्वा रकबा वादी को सौंपा था। महज अपने प्रार्थनापत्र को कानूनी रु दे के लिऐ कूटरचित बैयनामा को सही दर्शाने के लिऐ प्रार्थी ने यह कथन किये है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हे। अप्रार्थी संख्या 9 रकबा भूखण्डों के रुप में बेचान करना चाहती है। गेर कृषि कार्य हस्तान्तरित करने से प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं है। जानबुझकर अदालत को गुमराह करने के लिऐ तथ्यों को तोड़ मरोडकर वाद कारण दर्ज करने के लिऐ यह तथ्य दर्ज किये है। प्रार्थीया ने साहबराम,जगदीश,शंकरलाल पुत्रगण मनोहरीदेवी पत्नी सहीराम से उसके हक व हिस्सा की भूमि चक 8 जेड के खाता स0 46/44 के 1.326 हेक्टयर रकबा पूर्ण प्रतिफल देकर पंजीकृत बैयनामा दिनांक 7–5–2012 को कय किया था। बेयरोज बेयनामा से प्रार्थीया इस रकबा पर काबिज हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तक दिया कि प्रतिवादी स0 1 ता4 वारिसों ने अपना हिस्सा 0.368 हैक्टयर दिनांक 6–2–12 को वादी को बेच दिया। दिनांक 7–5–12 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दी। इसके पश्चात अन्य वारिसों ने यह रकबा दिनांक 7–5–12 को अपने हिस्से का कुछ हिस्सा का बेचान कर दिया। इसमें नरेन्द्रकुमार ने कालौनी काट दी। स्टेट साहबराम मु0न0139/12 सरकार की ओर से 177 आरटीए का वाद प्रस्तुत हुआ। एक प्रकरण 145 सीआरपीसी का पेश हुआ। वर्तमान में विचाराधीन हे। हमारे दोनों का बेयनामा है। वाद विभाजन का प्रस्तुत किया हैं।

— contd (3)

न्यायिक अधिकारी
श्री गंगानगर

विविध 132/12

स्थगन किया जावे। आरआरडी 2002 पेज 882 की नजीर प्रस्तुत की हैं।यदि निर्माण हो जाता हैं तो हमें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। भूमि खरीद पर हमे एतराज नहीं हैं। श्री मनोहरलाल सहारण ने अप्रार्थी स010 की ओर से बहस में तर्क दिया कि मैने प्रतिवादी स0 5ता9 से कब्जा काश्त 1.326 हैक्टयर भूमि दिनांक 7–5–12 को खरीद व काबिज हूँ। रकबा रिसीवर की कार्यवाही पुलिस ने कब्जा मुझसे लिया। सेशन न्यायाधीश ने वापिस कब्जा मेरे से लिया। कपिल ने इस्तगासा वकैल्पिक नक्शा के अनुसार किया हैं। दावा में यह कह रहा हैं मु0न025,27 में कब्जा कुछ भूमि पर अपना मान रहा हे। आपका कब्जा नहीं है। क्योंकि इस्तगासा में भूमि है। मेरे खिलाफ कोई अस्थाई निषेघाज्ञा नहीं चाहते हैं। औरत जात है। मेरे खिलाफ अस्थाई निषेघाज्ञा खारिज की जावे। उक्त भूमि में से 1.326 हैक्अयर भूमि मेरे कब्जा काश्त में हैं।

हमने उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। भूमि अभी तक सयुंक्त खाते में है। भूमि का बेचान प्रार्थी एंव अप्रार्थीया स009 को पंजीकृत बैयनामा से हुआ हैं। किस के हिस्से में कोन से भूमि आयेगी। यह मूल वाद में ही जबाब/तनकीयात कायम होने के पश्चात तैय किया जायेगा। भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीया द्वारा सयुंक्त खाते में हिस्सेदारों से 0.368 हैक्टयर भूमि का हिस्सा खरीद किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार करते हुऐ प्रार्थी के द्वारा सयुंक्त खाते की 14.03बीधा भूमि में से 0.368 हैक्टयर भूमि जरिऐ पंजीकृत बैयनामा से खरीद करने के कारण खरीदशुदा 0.368 हैक्टयर भूमि को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से रहन बैय नहीं करें तथा मु0न027 के कि0न023–24 की 14विस्वा व 14 विस्वा भूमि की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाई रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

(कैलाशचन्द्र शर्मा )

आदेश सुनाया गया।